

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2922

बुधवार, 20 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

झारखंड में नए उद्योग

2922. डॉ. निशिकांत दुबे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में विशेषकर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग शुरू करने और संचालित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या केंद्र सरकार झारखंड में नए उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता दे रही है; और
- (ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

- (क) से (ग) : उद्योगों की स्थापना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, भारत सरकार देशभर में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से उचित नीतिगत उपायों के जरिए देश में समग्र औद्योगिक विकास हेतु सक्षम इकोसिस्टम प्रदान करती है।

विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न अन्य कदम भी उठाए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई), ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सुधार करना, परियोजना मॉनी टरिंग समूह (पीएमजी), भारत के पूर्वोत्तर राज्यों हेतु पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की नई स्कीम इत्यादि, जिससे देश में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को स्थापित करने में सहायता प्राप्त होती है। इसके

अलावा, निवेश में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) के रूप में एक संस्थागत तंत्र की भी स्थापना की गई है।
